

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 31/18

रोमी उर्फ निलम्प कुमार पुत्र अशोक कुमार शर्मा
आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम सिसोनिया, तहसील
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

18-01-2018

आवेदक/आरोपी रोमी उर्फ निलम्पकुमार की ओर से श्री पी0के0 वर्मा अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

श्री पी0के0 वर्मा अधिवक्ता ने सूची अनुसार दस्तावेज निलम्प कुमार की अंकसूची की फोटोप्रति व बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम टाईम टेबिल की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 04/18 अंतर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त रोमी उर्फ निलम्पकुमार की ओर से अधिवक्ता श्री पी0के वर्मा द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी0के वर्मा द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि पूर्व की उधारी के पैसे न चुकाना पड़े इस कारण से आवेदक को अजमानतीय अपराध में झूठा फंसाया गया है, जिसमें आवेदक को अपनी गिरफ्तारी की संभावना है। फरियादी का पति आवेदक के बाबा कैलाशनाराण की कृषि भूमि को बंटाई पर करता है, जिसकी सम्पत्ति को लेकर भी न्यायालय में विवाद संचालित है। आवेदक स्नातक का छात्र है। उसकी समाज में प्रतिष्ठा है। आवेदक का पिता सम्माननीय व्यक्ति होकर विधि व्यवसायी है। आवेदक ग्राम सिसोनिया का स्थाई निवासी है। उसके फरार होने तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। मामले के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आरोपित अपराध

मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय न होकर जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार फरियादी रीना शर्मा दिनांक 11.01.18 को शाम 4:30 बजे अपने घर से रामनाथ के खेत के पास लेटिन करने गई थी वहां पर उसके गांव का रोमी उर्फ निलमपेश आया और बुरी नियत से उसका बायां हाथ पकड़ लिया, तब वह चिल्लाई तो उसकी सास रामश्रीबाई आ गई तो रोमी शर्मा भाग गया।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी रीना शर्मा द्वारा थाना गोहद में एक लेखीय आवेदन पेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध क्रमांक 04/18 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के अनुक्रम में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिये गये कथनों में भी फरियादी द्वारा उपरोक्तानुसार कथन किये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद